क्रम-संख्या-75

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 मार्च, 2016

चैत्र 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 583/79-वि-1–16-1(क) 8-2016
लखनऊ, 22 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 21 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2016

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2016]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में,—

(क)—खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) (एक)—वर्ष 2015—2016, 2016—2017, 2017—2018, 2018—2019 एवं 2019—2020 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी:

परन्तु यह कि यदि पूर्ववर्ती वर्ष में ऋण, सकल, राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के 25 प्रतिशत से अनधिक है तथा चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व घाटा शून्य है, तो राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के 3.25 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि पूर्ववर्ती वर्ष में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक है तथा चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व घाटा शून्य है, तो राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के 3.25 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि उपर्युक्त दोनों परन्तुकों में दी गयी शर्तें पूरी होती हों, तो राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकेगी;

(दो) वर्ष 2015—2016 से 2018—2019 तक की अवधि में, यदि राज्य सरकार किसी आलोच्य वर्ष में उस वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की उधार सीमा का पूर्ण उपयोग नहीं करती है तो राज्य सरकार के पास अगले वर्ष में अप्रयुक्त उधार की धनराशि, केवल रुपयों में आंकलित, का उपयोग करने का विकल्प होगा;"

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2015—2016, 2016—2017, 2017—2018, 2018—2019 एवं 2019—2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 31 प्रतिशत, 31 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत, एवं 30 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक बनाये रखा जाये ;"

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ) विभिन्न विभागों के वार्षिक आय—व्ययक प्रावधान में पूँजीगत कार्यों हेतु आय—व्ययक प्रावधान के 70 प्रतिशत से अन्यून धनराशि चालू पूँजीगत कार्यों हेतु तथा 30 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की व्यवस्था नये पूँजीगत कार्यों हेतु सुनिश्चित करेगी।"

———

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है।

2–उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार वर्ष 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014 एवं 2014–2015 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अनधिक स्तर पर बनाये रखेगी। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड–(च) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014 एवं 2014–2015 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक संगत वर्ष के प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 46.9 प्रतिशत, 45.1 प्रतिशत, 43.4 प्रतिशत एवं 41.9 प्रतिशत के अनधिक स्तर बनाये रखा जाये। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिये संस्तुतियाँ की है। उक्त संस्तुतियों में राजकोषीय घाटे तथा कुल ऋण स्टॉक की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में एवं चालू तथा नये पूँजीगत कार्यो हेतु बजट प्रावधानों की सीमा तय करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं। राज्य सरकार इन संस्तुतियों को स्वीकार योग्य मानती है। अतएव उक्त अधिनियम को निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए संशोधित करने का निर्णय लिया गया है,–

(क) वर्ष 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा सम्बन्धित वर्ष के प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अनधिक स्तर पर बनाये रखा जाये तथा वर्ष 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक संगत वर्ष के प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 31 प्रतिशत, 31 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के अनधिक स्तर तक बनाये रखा जाये;

(ख) विभिन्न विभागों के वार्षिक आय–व्ययक प्रावधान में पूँजीगत कार्यों हेतु आय–व्ययक प्रावधान के 70 प्रतिशत से अन्यून धनराशि चालू पूँजीगत कार्यों हेतु तथा 30 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की व्यवस्था नये पूँजीगत कार्यों हेतु किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 583 (2)/LXXIX-V-1–16-1 (ka) 8-2016

Dated Lucknow March 22, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 21, 2016 :–

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2016

[U.P. Act No. 8 of 2016]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2016. Short title

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004, in sub-section (3),–

(a) *for* clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"(c) (i) maintain fiscal deficit at not more than three percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the Years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, and 2019-2020:

Provided, that, if debt to GSDP ratio in the preceding year is not more than 25 percent and revenue deficit in the current year as well as in the preceding year is nil, the limit of fiscal deficit to GSDP ratio may be increased to 3.25 percent:

Provided further that if the interest payments in the preceding year are not more than 10 percent of the revenue receipt and revenue deficit in the current year as well as in the preceding year is nil, the limit of fiscal deficit to GSDP ratio can be increased to 3.25 percent:

Provided also that if the conditions mentioned in both the foregoing provisos are fulfilled, the limit of fiscal deficit to GSDP ratio my be increased to 3.50 percent;

(ii) If, in the period 2015-2016 to 2018-2019, in a given year the State Government does not exhaust the borrowing ceiling of three percent of GSDP for that year, then the State Government will have an option of availing the unutilised borrowing amount calculated in rupees only in the following year;"

(b) *for* clause (f) following clause shall be *substituted*, namely:–

"(f) ensure that the total debt stock is maintained at not more than 31 percent, 31 percent, 30.50 percent, 30.50 percent and 30 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the Years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 respectively;"

(c) *after* clause (f) the following clause shall be *inserted*, namely:–

"(g) provide for at least 70 percent of budget provision for capital works for the ongoing capital works and not more than 30 percent for the new capital works in the annual budget provision of various departments."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

2. Clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the said Act provides that the State Government shall maintain fiscal deficit at not more than 3 percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the Years 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015. Clause (f) of sub-section (3) of section 4 of the said Act provides that State Government will ensure that the total debt stock is maintained at not more than 46.9 percent, 45.1 percent, 43.4 percent and 41.9 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the Years 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015 respectively. The Fourteenth Finance Commission has made recommendations for fiscal consolidation of the Central

Government as well as the State Governments. In the said recommendations limits for fiscal deficit and debt stock as percentage of Gross State Domestic Product and limits for budgetary provisions for ongoing and new capital works have been suggested. The State Government finds the said recommendations acceptable. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for,–

(a) maintaining fiscal deficit at not more than 3 percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 and ensuring that the total debt stock is maintained at not more than 31 percent, 31 percent, 30.50 percent, 30.50 percent and 30 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the Years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 respectively;

(b) at least 70 percent of budget provision for capital works for the ongoing capital works and not more than 30 percent for the new capital works in the annual budget provision of various departments.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,

ABDUL SHAHID,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1030 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(2394)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 131 सा0 विधायी–26–03–2016–(2395)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।